राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1634/2017..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स विप्रो लिमिटेड, सी–92, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–प्रथम जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/2017	**खण्डपीठ** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 256/17–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य मांग राशि रूपये 8,78,15,795/– की वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। बहस के दौरान राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित बकाया राशि, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में अब कोई राशि वसूलनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना–पत्र सारहीन हो जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री आर. सी. शाह ने विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक के कथन का विरोध नहीं करते हुए अनुरोध किया कि स्थगन प्रार्थना के लम्बित रहने के दौरान वसूली करना न्यायसम्मत नहीं है अतः न्यायहित में अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित प्रकरण का एक माह की अवधि में निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रकरण में स्थगन प्रार्थना–पत्र लम्बित रहते हुए वसूली की जाने से स्थगन प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है परन्तु अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित अपील का इस आदेश प्राप्ति से एक माह की अवधि में गुणावगुण पर निस्तारण करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 30/11/17 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड सदस्य राजस्थान कर बोर्ड	